न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 791–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–1–15 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 16/अ–68/14–15.

शफी खां पिता मजीद खां
निवासी अमरवाड़ा तह. अमरवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती अंजू पति श्री कलीराम सराठे,
निवासी वार्ड नं. 2 अमरवाड़ा
तह. अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा

---- अनावेदक

श्री आलोक नायब, अधिवक्ता, आवेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22–12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 16/अ–68/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28–1–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया

किया गया कि उसके भूमिस्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम अमरवाड़ा प.ह.नं. 47 खसरानं. 148/3 रकबा 0.007 हैक्टर के समीप निस्तारी छेड़ी पर पानी गिराकर क्षति पहुंचाने बावत आवेदन आवेदक के विरूद्ध पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से रिर्पोट बुलाई गई एवं आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया । जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन पेश किया गया एवं आवेदक द्वारा जबाव पेश किया गया । विचारण न्यायालय ने उसके उपरांत आदेश दिनांक 10–6–13 द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया तथा आवेदक पर 100/– अर्थदंड आरोपित करते हुए उसे शासकीय भूमि खसरा नं. 162 में से रकबा 1240 वर्गफुट पर से बेदखल करने के आदेश दिए । आदेश का पालन न करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी को को आवेदक को सिविल जेल भेजने बावत प्रतिवेदन पेश किया जिस पर से अनुविभागीय अध्किारी ने दिनांक 19.12.13 को आवेदक को जेल भेजने बावत वांरट जारी करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 31.5.14 द्वारा निरस्त की । अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के सुनवाई दिनांक को उपस्थित न होने के कारण उन्हें न्यायहित में 10 दिवस का समय लिखित बहस पेश करने हेतु दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्को एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । यह प्रकरण अवैध रूप से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का होकर जांच के उपरांत अतिक्रमण सिद्ध पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उसके द्वारा प्रति रक्षण में कोई साक्ष्य या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उसे एक माह के कारावास के आदेश दिए हैं इस आदेश के विरूद्ध अपर जिलाध्यक्ष के समक्ष हुई अपील में अपर जिलाध्यक्ष ने संपूर्ण प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए विवेचना के उपरांत यह पाया है कि आवेदक को 600 वर्गफुट का पट्टा दिया गया था उसके स्थान पर उसने 1840 वर्गफुट पर आधिपत्य कर अतिक्रमण किया है अतः उसका यह कहना कि उसे साक्ष्य का एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है सही न मानते हुए अपील को निरस्त किया इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कोई हस्तक्षेप का आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी सारहीन तथा आधारहीन पाई जाने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर